



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 23 राँची, बुधवार

25 जून, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 535-542 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

9 जून, 2025

संख्या-12/पी₅-1002/2023-2269--झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के श्री वशिष्ट नारायण सिंह, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेरमो, बोकारो की सेवा दिनांक-05.07.2017 से सम्पुष्ट की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिर्की,

सरकार के अपर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 मई, 2025

संख्या-13/पी₂-102/2019-2038--सी०, श्री आर० रामकुमार, भा०पु०से०(2015), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान-Level-12 of Pay Matrix में दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाय ।

उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री कुमार का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आलोक कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

11 जून, 2025

संख्या-01 स्था0 - 280/2024- 1691/वि०स०।—एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री मंगल कालिंदी, स०वि०स० निवेदन समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत हैं को निवेदन समिति में सदस्य से मुक्त करते हुए सामान्य प्रयोजन समिति के अतिरिक्त शून्यकाल समिति में शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है ।

2- श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० याचिका समित में सदस्य के रूप में मनोनीत हैं को याचिका समित के अतिरिक्त निवेदन समिति में शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

3- एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं- 165, दिनांक- 17-01-2025, 177, दिनांक- 17-01-2025, 197, दिनांक- 17-01-2025 एवं 209, दिनांक- 17-01-2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

माणिक लाल हेम्ब्रम,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 मई, 2025

संख्या-01स्था0-75/2012- 1541 /वि0स01--सभा सचिवालय के ज्ञापांक-01स्था0-102/2020-1402, दिनांक-19.05.2025 एवं 1510, दिनांक-26.05.2025 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार (अधिनियम), 2005 के तहत झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित पद एवं धारा के अनुसरण में वर्णित अधिनियम का कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

1. श्री हरेन्द्र कुमार साह, उप सचिव - प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, धारा 19(1) के तहत,
2. श्री रामअशीष यादव, अवर सचिव - जनसूचना पदाधिकारी, धारा 5(1) के तहत एवं
3. मो0 असलम, प्रशाखा पदाधिकारी - सहायक जन सूचना पदाधिकारी, धारा 5(2) के तहत।
 - I. एतद् विषयक पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक सेशोधित समझा जाय ।
 - II. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

आदेश से,

संजीत कुमार,

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

11 जून, 2025

विषय- गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढीकरण (Augmentation & Reorganisation for Garhwa Urban Water Supply Scheme) हेतु कुल ₹ 59,71,63,300/- (उनसठ करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ज्ञापांक-5/न०वि०/श०जला०-23/2014 1980--74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इन दायित्वों में से एक शहरी जलापूर्ति एक महत्वपूर्ण योजना है।

2. वित्तीय वर्ष 2008-09 गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के DPR की राशि 33,40,27,000/- रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित दर पुनरीक्षित हो जाने के कारण इस योजना के DPR का दर पुनरीक्षित किया गया। दर पुनरीक्षण के उपरांत DPR की पुनरीक्षित राशि 37,85,80,400/- रुपये हो गया।

नगर विकास विभाग, झारखण्ड के द्वारा उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में पत्रांक-107 दिनांक-05.01.2013 द्वारा अनुसूचित दर पुनरीक्षित होने के उपरांत कुल 37,85,80,400/- रुपये की लागत पर मूल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 37,85,80,400/- रुपये अनुदान निम्नवत् स्वीकृत किये गये हैं:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत्यादेश	स्वीकृत राशि
(i)	2012-13	107 / 05.01.2013	50000000
(ii)	2013-14	64 / 28.11.2013	150000000
(iii)	2018-19	296 / 08.03.2019	70019076
(iv)	2020-21	122 / 27.01.2021	108561324
		कुल-	37,85,80,400/-

3. गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना का **DPR 15** वर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष **2008-09** में तैयार की गयी थी। वर्तमान में पूर्व की अपेक्षा घरों/मुहल्लों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा पूर्व के **DPR** में **GST** शामिल नहीं था। पूर्व में मेसर्स एस०एम०एस० पर्यावरण लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप वर्तमान में संवेदक हिमांशु महतो, जावाडोबा, धनबाद द्वारा उक्त कार्य का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। वर्तमान में कार्य पूर्ण नहीं है तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा उक्त कार्य को सुचारू रूप से सभी वार्डों में पूर्ण कराने हेतु उक्त योजना के लिए **रु० 52,10,82,900/-** का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था। उक्त योजना हेतु भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है एवं इस योजना के क्रियान्वयन से गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत सभी वार्डों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी।

उक्त क्रम में गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढीकरण हेतु कुल **रु० 52,10,82,900/-** के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को दिनांक-**07.03.2024** को आयोजित योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में इस शर्त के साथ अनुशंसित किया गया था कि प्रशासी विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच सुनिश्चित कर ली जाय।

4. योजना प्राधिकृत समिति के उक्त शर्त के आलोक में तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त प्राक्कलन के जांचोपरांत दिये गये मंतव्य अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1164 (अनु०) दिनांक-**21.03.2024** के द्वारा मुख्य अभियंता (CDO), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन वापस किया गया। इस क्रम में अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1998 दिनांक-**13.08.2024** द्वारा **Augmentation & Reorganisation for Garhwa Urban Water Supply Scheme** हेतु कुल **59,71,63,300/-** रुपये का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही, मुख्य अभियंता (CDO), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अंकित किया गया है कि संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि में परिवर्तन निम्नांकित कारणों से हुआ है:-

- (i) अनुमोदित संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन में एकरारनामानुसार अवशेष कार्यों पर **12%** की दर से **GST** का प्रावधान किया गया है।
- (ii) पाँच वर्षों के **O&M** मद के साथ **Electricity Energy Charge** के रूप में कुल **8,14,58,176/-** रुपये को शामिल किया गया है।

5. उक्त योजना के संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (CDO), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है:-

Sl.	Item Description	Original Estimate (in Rs.)	Revised Estimate (in Rs.)	Modified Revised Estimate (in Rs.)
1	INFILTRATION WELL	27,24,584.01	14,38,558.54	14,38,558.54
2	CONECTING PIPE CIVIL	84,85,882.52	38,97,540.26	38,97,540.26
3	RCC JACKWELL	49,39,979.12	90,90,673.24	90,90,673.24
4	RAW WATER PUMPING MACHINERY	65,39,700.00	-	
5	TRANSMISSION MAIN MATERIAL	12,06,28,810.23	11,92,10,619.55	11,92,10,619.55
6	TRANSMISSION MAINS CIVIL	1,62,50,148.35	1,00,24,634.80	1,00,24,634.80
7	WATER TREATMENT PLANT	3,21,40,140.00	3,87,82,637.86	3,87,82,637.86
8	PURE WATER PUMPING MACHINERY	36,17,706.27	34,64,293.50	34,64,293.50
9	ELEVATED SERVICE RESERVOIR	2,68,93,370.00	3,74,71,141.08	3,74,71,141.08
10	GROUND SERVICE RESERVOIR	4,25,245.46	25,08,809.15	25,08,809.15
11	SUMP AND PUMP HOUSE at Electric Office	15,20,943.93	30,14,752.66	30,14,752.66
12	DISTRIBUTION SYSTEM MATERIAL	10,90,74,367.02	13,69,22,949.50	13,69,22,949.50
13	DISTRIBUTION SYSTEM CIVIL	2,82,78,732.89	29,37,019.24	29,16,949.25
14	EXPRESS FEEDER AND TRANSFORMER	20,00,000.00		
15	LAND ACQUISITION	5,00,000.00		
16	Less- 6.75% (of M/s SMS Prayavaran Ltd. a per agreement			-7602988.51
17	Claim for Gangway at Intake Well		25,87,042.37	
18	Claim for Dismantling PCC & WBM road cutting in pipeline		1,18,00,748.60	
19	Electrical and mechanical work VT Motor		1,74,08,474.84	
20	Claim for pedestal on Danro river tandwa for crossing of 350 mm dia. pipe		1,45,04,519.80	
21	New Estimate (Work to be Done)		3,41,29,282.75	
22	Claim			4,63,00,785.69
23	Supplementary Estimate			3,78,97,052.00
24	O/M cost for 5 year excluding electricity charges		3,06,97,763.00	2,98,96,221.00
25	Electricity charges for 5 year			8,14,58,176.00
26	Price Adjustment for Steel, Cement, labor & DI Pipe		-43,47,612.78	-4665744.00
27	JBVNL Work (Electrical)		1,04,84,656.00	1,04,84,656.00
28	GST		3,09,31,513.19	3,07,32,803.11
29	Labour Cess	36,40,196.10	39,22,921.54	39,18,733.73
30	ADD 2% For PMC	72,80,392.20		
31	ADD 1% CONTINGENCIES	36,40,196.10		
	Total-	37,85,80,394.19	52,10,82,938.72	59,71,63,254.39
	or SAY-	37,85,80,400.00	52,10,82,900.00	59,71,63,300.00

6. उक्त योजना के संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू० 37,85,80,400/- एवं संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि रू० 59,71,63,300/- की अंतर राशि कुल रू० 21,85,82,900/- की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जिसका आवंटन राज्य योजना अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:-

“मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80 लघुशीर्ष-191/789-नगर निगम को सहायता/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ-उप योजना शीर्ष-01 नगरीय परिवहन, जलापूर्ति, भवन, उद्यान एवं जलाशय योजनायें-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)”।

7. उक्त योजना के पुनरीक्षण के उपरांत वर्द्धित राशि कुल 21,85,82,900/- रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय करने का लक्ष्य है।

8. योजना का कार्यान्वयन PWD Code के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

9. अतएव सम्यक् विचारोपरांत गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढीकरण (Augmentation & Reorganisation for Garhwa Urban Water Supply Scheme) हेतु कुल रू० 59,71,63,300/- (उनसठ करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-04.06.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।
